(28)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1208—दो/2007 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 25—05—2007 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 522/अपील/2006—07

.....

रामपाल सिंह तनय जयचन्द सिंह
निवासी—डीह, तहसील त्योंथर,
जिला—रीवा (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1— जगदेव
2— अमरनाथ
3— जेठ पिता नाथू कुम्हार
4— रामसजीवन
5— छोटेलाल
6— शिवप्रसाद
7— पंचम
8— मुस0 कौशिली बेवा कन्ताली शाहू
निवासीगण—ग्राम पड़री, तहसील त्योंथर
जिला—रीवा (म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 02-06-2017 को पारित)

यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25—05—2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि अनावेदक क्र01 जगद्देव द्वारा कलेक्टर रीवा के समक्ष इस आशय का शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम पड़री स्थित विवादित भूमि खसरा नं0 490 रकबा 6.89, खसरा नं0 490/1क, रकबा 1.86 ए0, खसरा नं0 490/1ख रकबा 2.73ए0 एवं 490/2 रकबा 2.30 एकड़ है। उक्त प्रश्नाधीन भूमियों का अंतरण गैर आदिवासी व्यक्तियों के नाम हो चुका है तथा साथ में चकबन्दी पट्टा भी जारी कर दिया गया है। इसी शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर कलेक्टर रीवा ने अपने पत्र क्र0 नजू/प्रवा0/अपर कलेक्टर 87/रीवा एवं दिनांक 07.10.87 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी त्यौंथर को संहिता की धारा 170(ख) के तहत जांच कर प्रकरण का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया । जिस पर अनुविभागीय अधिकारी त्यौंथर ने अपने प्रकरण क्रमांक 1ए23/87–88 में पारित आदेश दिनांक 22.04.91 द्वारा संहिता की धारा 170(ख) के तहत कार्यवाही करते हुये अन्तरण आदेश निरस्त कर दिया । अनुविभागीय अधिकारी, त्यौंथर के आदेश दिनांक 22.04.91 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अपील अपर कलेक्टर, रीवा के समक्ष पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 22/अपील/90–91 पर पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 19.02.2007 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, त्यौंथर के आदेश को स्थिर रखते हुये, आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किया गया । जिससे व्यथित होकर आवेदक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की, जिसमें अपर आयुक्त ने अपने प्रकरण क्रमांक 522/अपील/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2007 से आवेदक के हित में किया गया स्थगन आदेश दिनांक 21.02.2007 खारिज कर दिया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 25.05.2007 से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया । अपर कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 19.02.2007 को अपर आयुक्त के यहाँ चुनौती दी गई है, जिसमें अपील प्रकरण में पूर्व से पेशी दिनांक 18.06.2007 नियत थी। अनावेदक की ओर से उनके अभिभाषक ने शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश कर प्रकरण में नजदीक की पेशी नियत किये जाने का अनुरोध किया तथा पूर्व में जारी स्थगन को निरस्त करने का आवेदन पेश किया, जिन पर अपर आयुक्त ने विचार कर पेशी दिनांक 14.06.07 नियत की तथा स्थगन आदेश भी निरस्त कर दिया । आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य है कि बिना सुने स्थगन आदेश को निरस्त नहीं किया जाना

चाहिये था। परन्तु इस प्रकरण को संचालित हुये लगभग 10 वर्ष हो चुका है और अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश का अब तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है अथवा न ही उसका कोई प्रमाण प्रस्तुत ही किया है। अब 10 साल बाद इस स्तर पर स्थगन पर पुनः उसका निर्णय दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त के समक्ष प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं हुआ है। आवेदक अपर आयुक्त समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है। तथा अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप किया जाना व्यवहारिक एवं विधिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होता है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। प्रकरण अपर आयुक्त सेवा को दोनों पक्षों की सुनवाई का अवसर गुण–दोषों पर निराकरण करने हेतु वापस भेजा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर